# बिहार सरकार
## जल संसाधन विभाग

**–:अधिसूचना:–**

संख्या–06/प्र०–02(प्रो०/कार्य०)–06/2024– 3976 /पटना–15, दिनांक– 21.08.2025

जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 06.08.2025 को संपन्न बैठक की अनुशंसा के आधार पर राज्य के प्रशासनिक हित में पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत अभियंत्रण संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13ए) सहित मुख्य अभियन्ता (असै०) के उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए उक्त पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:–

| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम/ आई0 डी0 संख्या | मूल कोटि वरीयता (विभागीय पत्राक–5194 दिनांक 09.10.2023 के आलोक में) | कोटि | अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार की देय तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री हरीश कुमार<br>3856/पटना | 38 | अ०जा० | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |
| 2 | श्री जय प्रकाश पासवान<br>4391/सहरसा | 96 | अ०जा० | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |
| 3 | श्री एजाज कलीम<br>4491/भागलपुर | 130 | सामान्य | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |
| 4 | श्री प्रमोद कुमार<br>4492/सारण | 131 | सामान्य | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |
| 5 | श्री शम्स परवेज<br>4494/सिवान | 133 | सामान्य | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |
| 6 | श्री दीपक कुमार<br>4497/मुजफ्फरपुर | 136 | सामान्य | प्रभार ग्रहण की तिथि से। |

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर हीं उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा निश्चित रूप से अपना बायोडाटा अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्रदत्त पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त उच्चतर प्रभार का आदेश रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत् विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. उपर्युक्त उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में दी गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन/स्पष्टीकरण के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/8/25

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–06/प्र०–02(प्रो०/कार्य०)–06/2024– 3976 /पटना–15, दिनांक– 21.08.2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–कार्यपालक अभियन्ता, प्रभारी आई० टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)**/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक–3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वैश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल–1 एवं उड़नदस्ता अंचल–2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम० आई० एस० कोषांग,

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना **[Common Integrated website (www.state.bihar.gov.in)** पर प्रकाशित करने/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना **(वित्त विभाग को सी० डी० के साथ उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु)**/प्रशाखा पदाधिकारी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/8/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।